

## समक्ष माननीय राजस्व मंडल मं.प्र. ग्वालियर

(a) 1.

श्रीमति वीणा पुत्री स्व. श्री आत्माराम द्विवेदी

विवेक पुत्र स्व. श्री आत्माराम द्विवेदी

विनीत पुत्र स्व. श्री आत्माराम द्विवेदी

विकास पुत्र स्व. श्री आत्माराम द्विवेदी

समस्त निवासी तह.नौगांव जिला छतरपुर म.प्र.

.....आवेदकगण

/ / विरूद्ध / /

मध्यप्रदेश शासन

....अनावेदक 🔻

## निगरानी अंतर्गत् धारा-50 म.प्र.भू. राजस्व संहिता 1959

उपरोक्त आवेदक ने न्यायालय श्रीमान् अपर आयुक्त सागर, संभाग सागर (म.प्र.) के प्रकरण क्रमाँक प्र.क्र. 834/अ—1/08—09 में पारित आदेश दिनांक 30—04—2015 से परिवेदित होकर यह निगरानी निम्नलिखित प्रमुख एवं अन्य आधारों पर प्रस्तुत करता है:—

- यह कि प्रकरण का विवरण संक्षिप्त में इस प्रकार है आवेदकगणों के द्वारा श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी नौगाँव के समक्ष प्रस्तुत आवेदन एवं दस्तावेज रिजस्टर्ड विक्रयपत्र के आधार पर बंगला नंबर 26 एवं बंगला नंबर 27 मय आहता सिहत भूमि को, भूमि स्वामी घोषित किए जाने हेतु प्रस्तुत किया गया जिसे पंजीबद्ध किया जाकर विधिवत उद्घोषणा उपरांत कोई आपित प्राप्त न होने पर आवेदक द्वारा प्रस्तुत साक्षियों के प्रमाण उपरांत न्यायालय कलेक्टर छतरपुर द्वारा प्रकरण मंगाया गया है। जिसमें 2001 में न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी को अंतिम निराकरण के निर्देशानुसार भेजा गया जिसमें शासन पक्ष को अनावेदक बनाया गया व विधि अनुसार धारा 57(2) के तहत जिला अधीक्षक को नोटिस प्रेषित किये जाने के उपरांत शासन पक्ष की ओर से किसी व्यक्ति को अधिकृत नहीं किए जाने पर विचारण न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण का निराकरण कर दिनांक 11.2.2002 को अंतिम आदेश पारित करते हुए आवेदकगणों को भूमि स्वामी घोषित किए जाने का विधिसम्मत आदेश पारित किया गया है।
  - यह कि उपरोक्त आदेश पारित किए जाने के उपरांत दिनांक 24.2.2005 को



अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

ंछतंरपुर**ं** निगं0 / 1293 ने 15

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
9-8-15	मैंने प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी	
7-0-13	न्यायालय अपर आयुक्त सागर, संभाग सागर के प्रकरण क्रमांक	
	834 / अ—1 / वर्ष 2008—09 में पारित आदेश दिनांक 19—05—2015	
	के विरूद्ध म.प्र. भू—राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता	
	कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है।	
•	2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि न्यायालय	
	अनुविभागीय अधिकारी नौगॉव के समक्ष एक आवेदन इस आशय	
	का प्रस्तुत किया गया कि नौगॉव स्थित एक किता बंगला नं. 26	
•	मय आर्हता समेत आवादी भूमि नौगॉव जिला छतरपुर का भूमि	
	स्वामी घोषित किया जाये। जिसके तहत अनुविभागीय	
	अधिकारी द्वारा प्रश्नाधीन भूमि, भूमि स्वामी घोषित करते हुए	
•	आदेश दिनांक 11.02.2002 को पारित किया जिसके विरूद्ध	
	स्वमेव निगरानी के तहत जिला कलेक्टर छतरपुर द्वारा	
	अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश को निरस्त किया	
	गया आवेदकगणों द्वारा कलेक्टर छरतपुर द्वारा पारित आदेश	
	दिनांक 29.04.2009 के विरूद्ध निगरानी अपर आयुक्त सागर के	
	समक्ष प्रस्तुत की जो निरस्त किए जाने से पारित आदेश के	
	विरूद्ध निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।	
	3. आवेदकगणों की ओर से विद्वान अधिवक्ता अजय श्रीवास्वत	
	द्वारा शीघ्र सुनवाई के आवेदन के साथ आदेश 41 नियम 27 व्य.	
	प्र.सं. के तहत आवेदन प्रस्तुत किया अनावेदक शासन पक्ष की	
	ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री डी.के. शुक्ला उपस्थित दोनों पक्षों	
	के तर्क श्रवण किए गए।	
	4. आवेदक अधिवक्ता द्वारा तर्कों में कहा है कि कलेक्टर	
	छतरपुर द्वारा लंबित प्रकरण को वर्ष 1993 में मंगाये जाने के	
	उपरांत अवलोकन पश्चात १६.०५.२००१ को निर्देश सहित निराकरण	
	हेतु अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष भेजा था जिसकी जानकारी	
	शासन पक्ष को रही है ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी	
	द्वारा 11.02.2002 को पारित आदेश के विरुद्ध स्वमेव निगरानी	
	and 11.02.2002 an interest at 14.000 (4.14 1.14.11)	

के तहत इतने लंबे अंतराल पश्चात की गई कार्यवाही न्यायोचित नहीं है। यह भी तर्क किया है कि म.प्र.भू.रा.सं. की धारा 57(2) के विरूद्ध धारा 57(3) में उपचार उपलब्ध होने से पारित स्वमेव निगरानी के तहत प्रश्नगत आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। उन्होंने यह भी तर्क किया है कि वर्ष 1937-38 के खसरा में आवादी लेख चूकि वर्ष 1935 भारत सरकार अधिनियम के तहत पारित गजट के अनुसार नौगॉग कैन्टोमेंट वोर्ड निरस्त कर नगर पालिका गठित की गई थी व कैन्टोमेंट बोर्ड संधारित रजिस्टर्ड के अनुसार नगरपालिका नौगॉव ने विवादित भूमि का स्वामित्व निर्धारित कर रजिस्टर तैयार किया था आवेदकगणों को उनके स्वामित्व एवं रजिस्टर्ड विक्रयपत्र से संबंधित दस्तावेज जो इस न्यायालय में आवेदन के साथ संलगन किए है, को प्रस्तुत किए जाने का विधिवत अवसर कलेक्टर छतरपुर द्वारा नहीं दिया गया हैं पीठासीन अधिकारी के स्थानांतरण हो जाने के उपरांत एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर आदेश पारित किया है। इस कारण कलेक्टर न्यायालय द्वारा अपनाई प्रकिया को प्रश्नगत करते हुए उन्होनें कलेक्टर छतरपुर एवं अपर आयुक्त सागर द्वारा पारित आदेश को निरस्त करते हुए अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश को रिथर रखे जाने का अनुरोध किया है।

- 5. अनावेदक शासन पक्ष की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि स्वमेव निगरानी के तहत किसी भी समय शासन पक्ष को प्रकरण निराकरण करने की अधिकारिता है। अधीनस्थ दोनों न्यायालयों द्वारा विधिसम्मत आदेश पारित किया है जिसमें हस्तक्षेप किए जाने की कोई आवश्यकता नहीं है।
- 6. आवेदक एवं अनावेदक अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के रिकार्ड एवं प्रस्तुत दस्तावेज तथा न्यायिक दृष्टांतों का अवलोकन किया गया आवेदक अधिवक्ता द्वारा इसी प्रकार के निराकृत प्रकरण अरविंद कुमार गुप्ता विरूद्ध म.प्र. शासन अपर आयुक्त सागर के प्र.क. 231/अ/6 वर्ष 2006—07 में पारित आदेश दिनांक 07.02.2007 के आदेश की प्रति प्रस्तुत की है। जिसमें इसी प्रकार के प्रकरण का निराकरण करते हुए अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 20.11.2006 को वैद्य माना गया है।

Ay/

<del>100</del>

## राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ प्रकरण क्रमांक क्रि.: )293. -1/15... जिला

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषको आदि के हस्ताक्षर
	अनुविभागीय अधिकारी नौगॉव द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.	
	02.2002 के पैरा क्रमांक 4 में भी इसी प्रकार के प्रकरणों का	
	निराकरण व्यवहारवाद द्वारा किए जाने का हवाला दिया है	
'	जिनका उल्लेख कलेक्टर छतरपुर एवं अपर आयुक्त सागर द्वारा	
	नहीं किया है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा इस न्यायालय में नगर	
	पालिका परिषद नौगाँव जिला छतरपुर द्वारा जारी प्रमाणपत्र एवं	
. *	विवादित भूमि से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत किए है। जिन्हें	
	कलेक्टर छतरपुर के प्रकरण में प्रस्तुत किए जाने हेतु युक्तियुक्त	
	अवसर आवेदकगणों को दिया जाना नहीं पाया जाता है।	
	उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार	
•	करते हुए अपर आयुक्त सागर द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.05.	
	2015 एवं कलेक्टर छतरपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.09.	
	2009 निरस्त किया जाकर प्रकरण कलेक्टर छतरपुर को इस	
	निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वे आवेदकगणों	
	को आहुत कर उन्हें पक्ष समर्थन के दस्तावेज प्रस्तुत करने का	
	अवसर देने के उपरांत प्रकरण का निराकरण पुनः करें। तदानुसार	
	यह निगरानी निराकृत की जाती है। आदेश की प्रति कलेक्टर	
	छतरपुर को भेजी जाये प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।	-
20/	( Modes	
	सदस्	
	,	1